


03.09.25

पत्रावली वैशा हुई । वकील वादी या वादी संप
उपस्थित नहीं । बार-बार अपाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए । अतः वादी का यह वादपत्र
अदम पैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
स्वार्थिज किया जाता है । पत्रावली बाद तर्तीब
तकमील होकर दायिल दफ्तर है ।

निर्णय लिखाया जाकर तुले न्यायालय में
सुनाया गया ।


(सुनीलकुमार चौधन)
RAS.